संख्या - 45/421/84-2-2013-सीपी 2/2012

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 09 अक्टूबर, 2013

विषय श्री अनीस अब्बास, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम का यात्रा बिल कालबाधित हो जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-सीपी 219/84-2-2012-सीपी 2/2012, दिनांक 07 नवम्बर, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में वांछित सूचना अप्राप्त है। कृपया इसे शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in